

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]


भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

विषय: 11 नवंबर, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के कार्यान्वयन की समय सीमा को बढ़ाने के संबंध में।

सां.आ.(अ)- सां.आ. संख्या 4044 (ई), दिनांक 11 नवंबर, 2020 के माध्यम से जारी विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसरण में आदेश के लागू होने की तारीख "भारत के आधिकारिक राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष" यानी 11 नवंबर 2021 के रूप में अधिसूचित की गई थी। आदेश के प्रवर्तन की अवधि को एतद्वारा एक वर्ष के लिए अर्थात् 11 नवंबर 2022 तक बढ़ाया जाता है।

[फा.सं.8(1)/2018-एचईआई-भाग(I)]



जीतेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव